

१२५

बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय
आदेश

आ०सं०-६/एन०-०८-१६१/२०१८-१५५८(६) /पटना-१५, दिनांक- १२/१२/१८


विभागीय आदेश ज्ञापांक-८८३(६), दिनांक-१९.०९.२०१८ द्वारा नर्सिंग ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एकजामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, १९९७ के नियम-४(ii) के आलोक में सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, पिपरा, दरौंदा, सिवान द्वारा प्रस्तावित अम्बेदकर नर्सिंग इन्स्टीच्यूट, डेहरी ऑनसोन, रोहतास के नाम से जी०एन०एम० संस्थान की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान किया गया।

२ - विभागीय आदेश ज्ञापांक-९४५(६), दिनांक-०१.१०.२०१८ द्वारा मान्यता प्रदान किए जाने के संबंध में डॉ० नागेश्वर प्रसाद, अपर निदेशक, मुख्यालय, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। विशेषज्ञ समिति द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध भौतिक संसाधनों, मानव संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की जांच एवं निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

३ - विशेषज्ञ समिति के अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त अम्बेदकर नर्सिंग इन्स्टीच्यूट, डेहरी ऑनसोन, रोहतास को नर्सिंग ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एकजामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, १९९७ के नियम-४ (iii) के आलोक में जी०एन०एम० प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में ६० (साठ) सीटों पर नामांकन लेने हेतु एक सत्र (२०१८-१९) के लिए निम्न शर्तों पर मान्यता प्रदान की जाती है :-

- (क) संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों का अक्षरशः पालन करते हुए संचालित की जायेगी। सिविल सर्जन, रोहतास समय-समय पर संस्थान की गुणवत्ता का निरीक्षण करेंगे तथा भारतीय उपचर्या परिषद की अर्हताओं की अवहेलना होते ही संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।
- (ख) नर्सिंग ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एकजामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, १९९७ एवं समय-समय पर सरकार द्वारा लागू की गयी नियमावली में निहित प्रावधानों का अनुपालन संस्थान द्वारा किया जायेगा।
- (ग) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा निर्देश के आलोक में अपना निरीक्षण करा लेंगे।
- (घ) कुल आवंटित सीटों में से ५०% छात्राओं का नामांकन सरकार के निर्णयानुसार की जायेगी।
- (ङ) संस्थान की प्रशासी इकाई में (i) क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल, पटना (ii) सिविल सर्जन, रोहतास तथा (iii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रोहतास को सदस्य मनोनीत किया जाता है।

४ - आदेश में सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।



(डॉ० आर०डी० रंजन)
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

377

ज्ञापांक : 6/एन0-08-161/2018...1458(6)

पटना दिनांक 12/12/18

- प्रतिलिपि:- सचिव, अम्बेदकर नर्सिंग इन्स्टीच्यूट, डेहरी ऑनसोन, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमंडल, पटना/सिविल सर्जन, रोहतास/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/विशेष सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, रोहतास को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

2